Business Standard Hindi Edition Delhi
28.1.2017 Page 1
Height 20.64cm Width 21.06 cm

आधार भुगतान सेवा जल्द होगी शुरू

सरकार जल्द ही आधार भुगतान सेवा शुरू करेगी। इसके जरिये लोग अपनी आधार संख्या और बायोमेट्रिक्स का उपयोग कर रकम का लेन-देन कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि सरकार आधार भुगतान शुरू करने जा रही है। इसके साथ लोगों को भुगतान के लिए अपना फोन ढोने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लोग किसी भी दुकान में जाकर अपनी आधार संख्या साझा कर सकते हैं और भुगतान करने या धन प्राप्त करने के लिए खुद के सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं। पृष्ठ 4

119 बैंकों से जुड़ी आधार भुगतान सेवा

करण चौधरी
नई दिल्ली, 27 जनवरी

सरकार की आधार सक्षम भुगतान व्यवस्था की सफलता की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीक मंत्रालय ने कहा है कि करीब 119 बैंक आधार सक्षम भुगतान व्यवस्था से जुड़ गए हैं और इसके माध्यम से 33.87 करोड़ लेन देन पहले ही हो चुके हैं। कानून एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'देश की 125 करोड़ आबादी में से अब 111 करोड़ लोगों के पास आधार संख्या है। डिजिटल अभियान में आधार सबसे बड़ा पुल साबित हो रहा है।'

सरकार जल्द ही आधार भुगतान सेवा शुरू करेगी, जिससे लोग आधार नंबर और बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल कर भुगतान कर सकेंगे और उन्हें भुगतान करने के लिए मोबाइल फोन ले जाने की जरूरत नहीं होगी। प्रसाद ने आज कहा, 'हम आधार भुगतान शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ लोगों को भुगतान के लिए अपना फोन ढोने की आवश्यकता नहीं होगी। वे किसी भी दुकान में जाकर अपनी आधार संख्या साझा कर सकते हैं और भुगतान करने या धन प्राप्त करने के लिए खुद के सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं।' प्रसाद ने कहा कि देश में 4.47 करोड़ बैंक खाते आधार ईकेवाईसी से खोले गए हैं, जबकि मई 2014 तक सिर्फ एक लाख खाते खोले गए थे। हर महीने दो करोड़ खातों को आधार से जोड़ा जा रहा है। मंत्री ने कहा कि आधार भुगतान युक्त प्रणाली पहले से काम कर रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में 33 करोड़ लेन-देन किए गए हैं। प्रसाद ने कहा कि लेन-देन के लिए आधार के उपयोग से वित्त वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 में 36,144 करोड़ रुपये की बचत हुई।

शुक्रवार को नई दिल्ली में 'यूआईडीएआई की उपलब्धियों' पर संवाददाताओं से बातचीत करते केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद व अन्य। *फोटो-पीटीआई*

प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि आधार भुगतान के लिए 14 बैंक साथ आए हैं और जल्दी ही सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया, 'हमने अन्य बैंकों के साथ भी बात कर रहे हैं। जल्दी ही सेवा शुरू की जाएगी।'

सूत्रों के अनुसार कुछ बैंकों ने अपने एप्लीकेशन को विकसित कर लिया है और आंध्र प्रदेश में इसका परीक्षण हो रहा है।

मंत्री ने यह भी कहा कि एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग कर त्वरित भुगतान के लिए भारत इंटरफेस फार मनी (भीम) को भी आधार युक्त भुगतान प्रणाली से एकीकृत किया गया है।

उन्होंने कहा कि देश में 111 करोड़ लोगों के पास आधार संख्या है। लोग प्राय: निजता के उल्लंघन का मुद्दा उठाते हैं लेकिन आधार कानून लोगों की निजता का सम्मान करता है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'हम सभी जानते हैं कि पूर्व सरकार ने आधार शुरू किया लेकिन उस समय यह नागरिकों के लिए केवल एक डिजिटल पहचान के रूप में था। नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार के अंतर्गत उठाए गए विभिन्न कदमों से यह वित्तीय तथा भविष्य रूपांतरण के लिए एक शक्तिशाली जरिया बन गया है।'

कुछ शिकायतें मिली हैं कि कुछ आधार केंद्रों पर लोगों के पंजीकरण के लिए 100-300 रुपये लिए जा रहे हैं। यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडेय ने कहा कि बार बार के स्पष्टीकरण के बाद भी इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं। पांडेय ने कहा कि आधार पूरी तरह मुफ्त है।